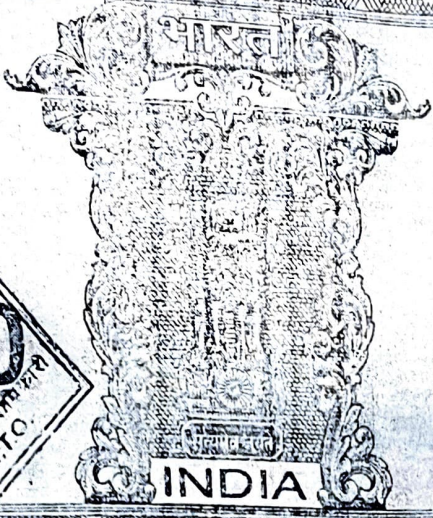


226/14

225

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

20AC 056090

कार्यालय- उप निवन्धक, सदर-शाहजहाँपुर ।
नकल संख्या - 226/14 असल दस्तावेज
संख्या - 4427/84 नुबलिंग 580-2 रुपये
के स्टाम्प पर तहरीर है। नकल 10/- रुपये
के स्टाम्प पर दिनांक 25/1/2014 को जारी
की गई।

प्रमाणित
तुलनाकर्ता

Handwritten signature

विक्रय-पत्र

५५६/१३

सम्पत्ति का विक्रय मुख्य ३६०००) बाजारी मुख्य जिस पर स्टाम्प शुल्क व निः फीस ही गयी ३६०००
स्टाम्प शुल्क— ३६०००) पत्ते संख्या ६.

यह कि मैं कोटेलाल पुत्र श्री कुंवर यदुनाथ निवासी जाम
तहसील राजौरा जिला मुहाना पुर पुराना बन्दहाल व जिला
बन्दहाल

यह कि मैं नीचे लिखी सम्पत्ति जामात का स्वामी हूँ और इस पर पूर्ण रूप
कायम व दखील हूँ निम्न वर्णित सम्पत्ति इस समय तक हर प्रकार के भार आदि से रहित है और
मेरे सिवा इस सम्पत्ति का कोई स्वामी या साझेदार नहीं और इस पर किसी का कोई हक या दावा
नहीं है उनके इसके देने आदि का पूर्ण अधिकार प्राप्त है अतः मैंने अपनी स्वयं चिन्ता तथा
डाकूनों की अशर्था ने उपरोक्त निम्न वर्णित सम्पत्ति समस्त अधिकारों सहित और बिना कोई
बीज या हक छोड़े हुये ।

बीसवीं कानन सिंगल पत्तो श्री बी. सिंगल हजिन
प्रा. ह. अ. आ. र. का. २०००००

के हाथ ३६०००० रुपये (सब्बों में) खन्ती लहजारे रूपया
की जिसके आये १८०००० रुपये (सब्बों में) अहूरा हजारे रूपया
होते हैं अथ ही/दिया और विक्रय धन की प्रशान्त इस प्रकार है ।

पटेल वसुल पालिमे मुबलिग तेनी हजारे रूपया ३००००
पुस्तक लिखी अथ बाजा हजारे रूपया २००००
रूपया ३३००००

केता/गण से वसूल पाकर मैंने इस केवपत्र द्वारा विक्रय सम्पत्ति से समस्त समस्त
भार व अधिकार केता/गण को हस्तान्तरित कर दिये हैं । कोई विषय अधिकार या वस्तु सुरक्षित
नहीं रही है, और विक्रय सम्पत्ति पर समस्त कर्जा केता/गण को हस्तान्तरित कर दिया है
अथ मेरा या मेरे किसी भी उत्तराधिकारी का विक्रित सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई
अधिकार नहीं रहा । यदि भविष्य में मेरा कोई उत्तराधिकारी विक्रित सम्पत्ति पर दावा करे
नाजायज हो और इस प्रकार या कुछ विक्रेता के अधिकार और कुछ खर्च में किसी दोष के
कारण विक्रित सम्पत्ति या उसका कोई भाग केता/गण के कर्ज में निरुद्ध आवे तो केता/गण
अपना अपना हर्जा तथा सादत मुझे व मेरे उत्तराधिकारियों से कदालत द्वारा पाने के
हकदार होने विक्रित सम्पत्ति का पूर्ण विवरण संलग्न स्टाम्पों अंकित किया गया है ।

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे । इति-

नोट:- सन्दर्भ ३ में शब्द खर्च से पहले का शब्द (दोष) कटा है

वस्तु-विक्रय सम्पत्ति : जामात का १२०००००) बाजारी मुख्य जिस पर स्टाम्प शुल्क व निः फीस ही गयी ३६०००
तहसील व जिला मुहाना पुर पुराना बन्दहाल व जिला
(सल) व स्टाम्प पर लिखा लिखा है

५५६/१३

